राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग,
महात्मा गांधी नरेगा (ग्रुप–3), सचिवालय, जयपुर
(Phone : 0141-2227956, 2227170 E-mail: pdre_rdd@yahoo.com)

क्रमांक एफ 1(16) ग्रावि/नरेगा/वार्षिक कार्य योजना–2022–23 जयपुर, दिनांक : 30 SEP 2021

जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस
महात्मा गांधी नरेगा,
समस्त, राजस्थान।

विषयः– महात्मा गांधी नरेगा योजना की वार्षिक कार्य योजना में पंचशाला (Panch-Shala) के कार्य लिये जाने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत उल्लेखनीय है कि वर्ष 2022–23 के लिए महात्मा गांधी नरेगा योजना की वार्षिक कार्य योजना तथा श्रम बजट बनाये जाने हेतु ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। इस क्रम में विभाग द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं, इसी अवधि में दिनांक 02.10.2021 से प्रशासन गांवों के संग अभियान का आयोजन होने से ग्राम सभाओं की प्रभावशीलता भी बढ़ेगी।

समय के साथ प्रत्येक योजना में नवाचार की आवश्यकता होती है। महात्मा गांधी नरेगा योजना में राज्य सरकार द्वारा व्यक्तिगत कार्यों के अन्तर्गत पूर्व में अपना खेत अपना काम योजना संचालित की गई और एक विशेष नामकरण होने के कारण जन सामान्य के द्वारा उत्साह पूर्वक अपनाया गया।इसी क्रम में नरेगा में अनुमत कार्यों को ही ध्यान में रखते हुए प्रत्येक ग्राम व ग्राम पंचायत में पंचशाला (Panch-Shala) का कार्य लिया जा रहा है। इसके अन्तर्गत निम्न कार्य लिए जाएंगे :–

1 पौधशाला (Nursery)
2 कार्यशाला (Work-Shade)
3 निर्माणशाला (Building Material Production Centre)
4 पशुशाला (Cattle Shade)
5 पोषणशाला (Nutri-Centre)

वस्तुतः यह समस्त कार्य नरेगा में विभिन्न प्रावधानों एवं अनुबन्धों के अधीन अनुमत है और इस संबंध में महात्मा गांधी नरेगा योजना की वार्षिक कार्य योजना तथा श्रम बजट बनाये जाने हेतु जारी विस्तृत दिशा–निर्देश में सारभूत रूप में समाहित हैं, परन्तु इन पर विशेष बल देने के लिए कतिपय बिन्दुओं को स्पष्ट करते हुए नवीन दिशा–निर्देश जारी किये जा रहे हैं। इसमें चूंकि पहली बार बड़ी संख्या में कार्य किए जा रहे हैं, अतः इन कार्यों की डिजाइनिंग, एस्टीमेट निर्माण आदि में नवीन रूप में प्रयास किए जाने होगें। परन्तु इसमें नवाचार की संभावना भी बनेगी और इस हेतु समस्त संबंधित को प्रोत्साहित भी किया जाना चाहिए। तदनुरूप अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(के0के0पाठक)
शासन सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग

Scanned with CamScanner

प्रतिलिपिः

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एवं पंरावि, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक, आईजीपीआरएस।
5. स्टेट मिशन डायरेक्टर, राजीविका।
6. आयुक्त, ईजीएस,ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन,पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर।
8. निदेशक,पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर।
9. निदेशक, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, राजस्थान।
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जैव ईधन प्राधिकरण, ग्रामीण विकास विभाग राजस्थान।
11. अति0 जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प.समस्त राजस्थान।
12. परियोजना निदेशक, एसएपी–2, ग्रामीण विकास, राजस्थान, जयपुर।
13. अधीक्षण अभियंता, अभियांत्रिकी, ग्रावि।
14. सहायक निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क, पंरा/ग्रावि/ईजीएस।
15. अधिशाषी अभियंता, महात्मा गांधी नरेगा जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
16. रक्षित पत्रावली।

आयुक्त, ईजीएस
30/8/21

Scanned with CamScanner

–: पंचशाला(Panch-Shala)निर्माण संबंधी दिशा–निर्देश:–

क.स.	कार्य व विवरण
1	**पौधशाला (Nursery)**सामुदायिक एवं व्यक्तिगत दोनों श्रेणी के कार्यों में अनुमत विभाग द्वारा पौधशाला या नर्सरी विकास हेतु पूर्व में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये हैं, उक्त के अनुसार नर्सरी विकास कार्य कराया जावे, ताकि ग्रामीण क्षेत्र में निरंतर व आवश्यक मात्रा में अच्छे पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। पौधशाला के कार्य सामुदायिक एवं व्यक्तिगत दोनों श्रेणी में अनुमत हैं और इसमें व्यक्तिगत एवं सामुदायिक पौधशाला हेतु कंतिपय बिन्दुओं पर पृथक–पृथक दिशा–निर्देश हो सकते हैं उदाहरणार्थ व्यक्तिगत कार्य के रूप में स्वीकृत कार्य होने पर लाभार्थी स्वतंत्र रूप में उसका विक्रय करने तथा उसका लाभ अर्जित करने में समर्थ होगा। विभागीय उपयोग में पौधा–रोपण हेतु भी इनसे निर्धारित दर पर उपापन किया जा सकेगा, परन्तु प्राथमिक रूप से वरीयता सामुदायिक पौधशाला को दी जाएगी। यदि वहां समुचित संख्या में या समुचित आयु सीमा में वांछित पौधे उपलब्ध नहीं हैं, तब उस व्यक्तिगत श्रेणी की पौधशाला से पौधे लिए जा सकते हैं। महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत सामुदायिक पौधशाला (नर्सरी) विकास के कार्य निम्नांकित शर्तों के अधीन होंगे– 1 सामुदायिक पौधशाला विकास का तात्पर्य केवल केवल वन या कृषि व बागवानी आदि राजकीय विभागों द्वारा पौधशाला विकास ही नहीं, अपितु ग्राम पंचायतों द्वारा पौधशाला विकास से भी है, जो सर्वाधिक आवश्यक है। पंचायत द्वारा इसके संचालन का दायित्व राजकीय रूप से पंजीकृत स्वयं सहायता समूहों को दिया जा सकेगा। 2 जिस भूमि पर ऐसी पौधशाला लगाई जा रही है, वह किसी राजकीय विभाग या ग्राम पंचायत या अन्य ग्रामीण स्थानीय निकायों की होनी चाहिए। 3 पौधशाला विकास एक निरंतर देखभाल व अपेक्षाकृत अधिक अवधि का कार्य है। इसमें कार्य को कम से कम 3 साल की अवधि के लिए मंजूरी दी जाएगी, ताकि लंबे पौधे उगाए जा सकें, जिससे उनकी जीवित रहने की दर में सुधार हो सके। 4 कार्यान्वयन एजेंसी को पौधों की संख्या (आयु के अनुसार) के बारे में स्पष्ट प्रतिबद्धता देनी होगी कि वे हर साल वृक्षारोपण प्रयासों के लिए आपूर्ति करेंगे। 5 महात्मा गांधी नरेगा के तहत पौधारोपण हेतु पौधों का उपयोग निःशुल्क किया जाएगा, परन्तु यदि नरेगा से भिन्न कार्यों के लिए यदि पौधारोपण किया जाता है, तो उस योजना के अन्तर्गत भी इसका निर्धारित मूल्य पर उपापन किया जा सकता हैं। यदि नरेगा के लिए आपूर्ति के उपरान्त अतिरिक्त रूप में पौधे विद्यमान है, तो इनका स्वयं के स्तर पर विक्रय हेतु संचालक संस्था अनुमत होगी, परन्तु ऐसी समस्त आय पंचायत अथवा संचालक होने पर स्वयं सहायता समूह की आय के रूप में परिगणित होगी। विशेष रूप में शहरी क्षेत्रों में ऐसे पौधों की व्यापक मांग विद्यमान रहती है, जिनमें स्वायत्त शासन विभाग व नगरीय विकास विभाग द्वारा भी विपुल संख्या में पौधों की खरीद की जाती हैं। व्यक्तिगत पौधशाला हेतु सामान्यतः लाभार्थी के खेत पर ही कार्य लिए जाने का ध्यान रखा जाता है, परन्तु यदि किसी लाभार्थी के आवासीय भवन के परिसर में भी समुचित धूपयुक्त स्थान उपलब्ध है, वहां भी इसे स्वीकृत किया जा सकता है।

Scanned with CamScanner

2	कार्यशाला (Work-Shade)सामुदायिक श्रेणी के कार्यों में अनुमत, जिनमें स्वयं सहायता समूह सम्मिलित हैं
	नरेगा के अन्तर्गत सामान्य रूप से श्रमिकों के लिए अनुमत श्रम दिवस प्रति परिवार 100 दिन तक ही सीमित है, केवल कुछ श्रेणी के श्रमिकों को 150 अथवा 200 दिवस तक कार्य की अनुमति है। परन्तु श्रमिक को रोजगार की आवश्यकता वर्ष पर्यन्त होती हैं, ऐसे में कतिपय श्रमिकों को रोजगार के अभाव में अपने मूल स्थान से दूर अन्यत्र भी जाना पड़ता हैं। वस्तुतः नरेगा की मूल भावना यह है कि इससे संबल पाकर श्रमिक समुदाय अधिकाधिक आत्मनिर्भर बने और इसके माध्यम से उत्पादक गतिविधियां संचालित कर उन्हें यथा संभव साल भर आजीविका के स्रोत या साधन उपलब्ध कराये जाएं। इसे ध्यान में रखते हुए श्रमिकों के लिए उनके विविध कौशल व कार्य हेतु एक सामुदायिक या सामूहिक कार्यशाला की आवश्यकता होती है, जिसे वे अपने समूह के लिए सामान्य सुविधा केन्द्र के रूप में निरन्तर प्रयोग में ले सके। इसे ध्यान में रखते हुए इनके लिए कार्यशाला के निर्माण पर विशेष बल दिया जा रहा हैं। उल्लेखनीय है कि राज्य के अंतर्गत 2 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह उपलब्ध है। नरेगा के माध्यम से उनके लिए ऐसी कार्यशालाएं बनाई जा सकती हैं, जहां अनेक महिलाएं बैठ कर अपनी निर्धारित उत्पादक गतिविधियों को क्रियान्वित कर सकें। इसके लिए लागत और पूर्णता अवधि कम रखने हेतु सम्पूर्ण संरचना को पत्थर या कंकरीट से बनाए जाने की बजाए एक सामान्य जी.आई. शीट की शेड बनाते हुए संरचना विकसित की जा सकती है। जहां पर सरकारी परिसर पहले से विद्यमान है, वहां एक तरफ की दीवार का उपयोग करते हुए भी कम लगात में बनाई जा सकती है। इसे बनाने के लिए सामान्यतः आंगनबाड़ी केंद्र अथवा राजीव गांधी आई.टी. सेन्टर या पंचायत भवन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अन्य विकल्प के रुप में सामुदायिक या राजकीय परिसरों को लिया जा सकता है। इस सम्पदा का स्वामित्व ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग का होगा, जिन्हें संचालन के लिए स्वयं सहायता समूह को निःशुल्क अथवा पंचायत द्वारा निर्धारित राशि के आधार पर दिया जा सकेगा। इसके विस्तृत दिशा निर्देश पृथक से जारी किए जायेंगे।
2	निर्माणशाला (Building Material Production Centre)सामुदायिक श्रेणी के कार्यों में अनुमत, जिनमें संचालन हेतु स्वय सहायता समूह को अनुमत किया जा सकता हैं।
3	महात्मा गांधी नरेगा के तहत स्वीकृत कार्यों में निर्माण सामग्री यथा ईंटों, सीसी ब्लॉक, टाइलों, पेवर ब्लॉकों आदि का उपयोग किया जाता है। ऐसी निर्माण सामग्रियों के उत्पादन से 3 बड़े लाभ होंगे– **प्रथम**–ग्राम पंचायत नरेगा के अन्तर्गत अथवा उसके अभिसरण से कराये जाने वाले निर्माण कार्यों में स्वयं ही निर्माण सामग्री का एक सीमा तक उत्पादन कर सकती हैं, और इससे विभिन्न फर्मों के माध्यम से निविदा कर क्रय किए जाने की निर्भरता भी कम होगी। **द्वितीय**– इससे ग्राम में विद्यमान अकुशल श्रमिकों को अतिरिक्त रूप में नरेगा से ही रोजगार मिल सकता है। इससे उन्हें अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं होगी और उनका असंगठित होने वाला शोषण भी रूकेगा। **तृतीय**–चूंकि ये निर्माण सार्वजनिक भूमि पर किये जा सकते हैं और उनके लिए शेड आदि की कार्यवाही विभागीय मद से ही की जा सकती हैं, अतः इस पर व्यक्तिगत रूप से

Scanned with CamScanner

लागत कम होगी। इसमें जो संचालन के कम में आय सृजित होगी, उसमें संचालन संस्था यथा– ग्राम पंचायत अथवा स्वयं सहायता समूह को लाभ प्राप्त हो सकेगा। इसमें यदि समुचित बचत राशि उपलब्ध होती है तो नियोजित श्रमिकों के कल्याण के लिए अतिरिक्त योजनाएं भी संचालित की जा सकती हैं।

परन्तु यह भी ध्यान में रखना होगा कि गहात्मा गांधी नरेगा कार्यों के निष्पादन में आवश्यक भवन निर्माण सामग्री के उत्पादन की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन होगी–

1 ऐसा उत्पादन एक स्टैंड–एलोन गतिविधि नहीं होगा अर्थात् नरेगा के तहत उत्पादित निर्माण सामग्री का उपयोग योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों में ही किया जाएगा।

2 योजनान्तर्गत उत्पादित निर्माण सामग्री को न तो खुले बाजार में बेचा जाना है और न ही किसी अन्य सरकारी योजना में उपयोग किया जाना है।

3 निर्माण सामग्री का उत्पादन शुरू करने से पहले, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उत्पादन की लागत बाजार दरों के साथ प्रतिस्पर्धी हो।

योजना में इसे क्रय हेतु उस सामग्री की निर्धारित बीएसआर की दर तथा उसके समय में निविदा में प्राप्त दर का आकलन कर, तकनीकी समिति दर का निर्धारण कर सकेगी।

4	पशुशाला (Cattle Shade)सामुदायिक एवं व्यक्तिगत दोनों श्रेणी के कार्यों में अनुमत

पशुशाला (Cattle Shade)के कार्य को सामुदायिक एवं व्यक्तिगत दोनों श्रेणी के कार्यों में अनुमत किया गया है। इसमें यह उल्लेखनीय है कि व्यक्तिगत श्रेणी में पशुशाला के निर्माण पर उनकी स्वीकृति राशि की अधिकतम सीमा विभाग द्वारा निर्धारित की गई है, ताकि इसमें सीमित राशि में अधिकतम लोगों को लाभान्वित किया जा सके। परन्तु जहां पर कोई सामुदायिक पशुशाला बनाई जा रही है, वहां पर पशुओं की संख्या और उनके लिए आवश्यक विभिन्न सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बड़ी पशुशाला के कार्य भी लिए जा सकते हैं, जिसमें वित्तीय राशि की सीमा उस पंचायत के 60:40 श्रमिक व सामग्री के अनुपात के अनुरूप होगा।

सामुदायिक पशुशाला के संबंध में विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं कि मुख्य सड़क से जुड़े हुए गांवों में कई बार यह पाया जाता है कि सूखी जमीन की तलाश में अनेक पालतू/आवारा पशु सड़कों पर चले आते हैं, अतः यह आवश्यक होगा कि अधिक ट्रैफिक वाले जुड़े स्थान पर ही कोई पशुशाला इस तरह बनाया जाए, जिसमें ऐसे पशुओं को लाया जा सके।

पशुशाला का तात्पर्य केवल पशु शेड से नहीं है, अपितु वहां पर अन्य प्रकार की विविध सुविधाएं भी विकसित की जानी चाहिए। इस पशुशाला में कैटल शेड के तीन तरफ पशु खेली (Cattle Fodder Trough)के रूप में फेंन्सिंग व इसमें पेयजल के लिए उसी खेली में अलग से व्यवस्था की जा सकती है। इसमें ग्राम समुदाय स्वयं अपनी ओर से चारा, घरों के, सब्जी के वेस्ट, रसोई के वेस्ट को डाल सकता है।

पशुशाला का निर्माण पशुओं की आवश्यक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए किया जाना चाहिए। यहां पशुशेड के नीचे फर्श को पत्थर, कंकरीट ब्लॉक, खड़ी ईंट से बनाया जा सकता है। इसकी ढाल ऐसी रखी जाए कि गोमूत्र, गोबर सरलता से किनारे आ जाएं। गोमूत्र के लिए फर्श के किनारे पतली नाली भी बनाई जा सकती है जो सोकपिट या कम्पोस्ट–पिट में जा सके। अधिक पशु होने व समुचित व्यवस्था होने पर अवश्यकतानुसार वर्मीकम्पोस्ट या बायोगैस यूनिट का निर्माण किया जा सकता है। इनकी बेहतर व्यवस्था के

Scanned with CamScanner

	लिए समुदाय व संगठनों को प्रेरित किया जाना चाहिए। व्यक्तिगत पशुशाला की स्वीकृति इंदिरा आवास योजना, मुख्यमंत्री बीपीएल आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के लाभार्थियों में से नरेगा योजना हेतु पात्र लाभार्थियों को ही प्राथमिकता से स्वीकृत किया जाना चाहिए।
5	पोषणशाला (Nutri-Centre)सामुदायिक एवं व्यक्तिगत दोनों श्रेणी के कार्यों में अनुमत
	पोषणशाला का तात्पर्य मुख्यतः प्रत्येक पाठशाला (विद्यालय व आंगनबाडी) में **पोषण वाटिका (Nutri-Garden)**का निर्माण हैं, परन्तु इसमें सामुदायिक के अतिरिक्त व्यक्तिगत कार्य भी आवश्यकतानुसार लिए जा सकते हैं। वस्तुतः अपना खेत अपना काम योजना के अन्तर्गत उद्यानिकी और वानिकी के कार्य भी लिए जाने थे परन्तु उनमें अब तक प्रायः भूमि और जल संरक्षण के कार्य अधिक लिए गए और उद्यानिकी संबंधित कार्य कम लिए गए। चूंकि एक बार भूमि विकसित हो चुकी है अतः अब इसमें फलदार पेड़ों पर विशेष बल देते हुए बड़ी संख्या में उद्यानिकी संबंधी कार्य लिए जाने हैं, इसमें पात्र कृषक केवल अपनी खेत की मेड़ पर ही नहीं अपितु पूरे खेत में भी बागवानी के कार्य ले सकते हैं। चूंकि फलदार पेड़ों के पूरी तरह विकसित होने में समय लगता हैं, अतः उनके मध्य सब्जियों और बेलों की भी खेती मध्यावधि में की जा सकती है। इसके लिए विस्तृत निर्देश पूर्व में दिए जा चुके हैं, तद्नुरूप कार्यवाही सम्पादित की जाए। विद्यालय व आंगनबाडी के अतिरिक्त पोषणशाला का विकास राजीव गांधी आई सेन्टर, पंचायत भवन, एएनएम सब–सेन्टर, सामुदायिक भवन आदि के परिसरों में भी किया जा सकता है। जहां चारागाह सुरक्षित एवं विकसित हैं, वहां भी ऐसे कार्य लिए जाने चाहिए।

–: अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु :–

1 पंचशाला के कार्य कुछ सीमा तक सामग्री प्रधान है तो अनेक में श्रम की भी अधिकता है। उदाहरणार्थ यदि कार्यशाला और पशुशाला के कार्यों में सामग्री मद अधिक आता है, तो पौधशाला और पोषणशाला श्रम की प्रधानता होने से यह अनुपात समुचित हो जाता है।

2 पंचशाला संबंधी कार्यों पर बल देने का तात्पर्य यह नहीं है कि अन्य प्रकृति के कार्यों को प्रमुखता नहीं देनी है, वस्तुतः वहां भी नवाचार की विपुल संभावना है।विशेष रूप से अपशिष्ट निस्तारण के लिए गांव में भी डम्पिंग ग्राउंड का इस प्रकार विकास किया जाना चाहिए, जिससे वहां अलग–अलग भागों में अलग–अलग प्रकार के कचरे का संग्रहण व निस्तारण हो सके। साथ ही उनके पुनः चक्रण हेतु कचरे की अलग–अलग सामग्रियों की अलग–अलग छटनी कर उनके रिसाइकल हेतु प्रयोग पर बल दिया जाना चाहिए।

Scanned with CamScanner